



2.2  
प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना तक मोटर मार्ग निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

  
सहायक अभियंता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
बागेश्वर लो.नि.वि.  
बागेश्वर

  
अधिशासी अभियंता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
बागेश्वर लो.नि.वि.  
बागेश्वर

प्रेषता  
एसओएसओ लोडिया,  
संवर्धन, साया,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में  
प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग 2

दिनांक/8 अगस्त, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अंतर्गत जनसम्वर्धन बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अंतर्गत विभिन्न 10 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपरोक्त करारों में प्रथम चरण के आगणना, रिजिस्ट्री कुल लम्बाई 37.00 कि०मी० + 01 स्थापन एवं लागत ₹ 350.95 लाख है; पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त सस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 345.46 लाख (एक लाख 34 हजार 546 पैंतालीस लाख छियालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, बालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (एक दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 10 कार्यों हेतु ₹ 1.00 लाख (एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल विनियोजित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

- (i) - उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii) - आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें रीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गईं हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii) - कार्य पर उल्लेख ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समागोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv) - कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराने समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v) - आगणन में खिन्न मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उरनी एवं न किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi) - स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोग्राममेंट स्कूल-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट गैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii) - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2011/XIV-219(2008) दिनांक 30-05-2008 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई करते समय या आगणन पठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) - उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी सिपिटिंग आदि मदों के सम्बन्ध में योगावश्यक व्यय अनुमोदन सं०-22, लेखाधीनक-5094 - सड़कों तथा सेतुओं पर प्लेनगत निर्माण कार्य-04-सड़क/पक्का/सेतु आदि, हेतु भूमि

A.C. [Signature]  
सहायक अभियंता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
बागेश्वर

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 म)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	(घनराशि लाख ₹ में) चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही घनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत तयोरडा से भानीपंडार होते हुए नाकुरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	47.20	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि0मी0.16 से उड़लगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.00	47.36	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत भटौली से स्यूरी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	19.84	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के विकासखण्ड गरुड के अन्तर्गत रूनीलखमा मोटर मार्ग के कि0मी0.05 से सैलाखरक बाोटिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	59.00	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के विकासखण्ड गरुड के अन्तर्गत सैण-लडौलिया मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	2.500	15.10	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत पाण्डेखरक-खडेरिया (पालिटैक्नीक) मोटर मार्ग से ग्राम पांटे होते हुए गरुड देवनाई मोटर मार्ग का मिलान कार्य। (प्रथम चरण)	3.00+35 mtr Span	43.80	0.10
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर में उतीना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	40.00	0.10
8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत कमेडी-सामे मोटर मार्ग से तेल होते हुए बिलेख तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.00	29.76	0.10
9	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत रूनीखेत से गार्धीग्राम अमलीडा मोटर मार्ग से होते हुए रामिसमा खोली (मात्राइजर) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.50	15.00	0.10
10	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर में पीएमपीएसवाई के अन्तर्गत निर्माणाधीन बागेश्वर-तल्लीसरा-सिमतौली मोटर मार्ग के कि0मी0.05 में हन्योली से साता-प्यारा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	28.40	0.10
कुल :-		37.00 + 1 Span	345.46	1.00

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

P.C. Attar  
 B)  
 सहायक अभियन्ता  
 प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0  
 बागेश्वर

(जीवन सिंह)  
 उप सचिव

अभिप्रेत 00-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राथमिक आय व्ययक में प्राविधानित रु 200 करोड़ पर रहीं प्राथमिक धनराशि से किया जाएगा।

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की पूर्णता एवं समयबद्धता को सुनिश्चित संबंधित अभियंता अभियंता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अधिकांश की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जाएगा। यदि स्वीकृत कार्य के माध्यम से वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय समतल मद में निवर्तन में स्वीकृत धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री प्राथमिक सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.00 लाख का बजट आबंटन वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत अर्लैटमेंट आई0डी0 संख्या S1902220262 दिनांक 16 फरवरी, 2019 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0-1227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूजीयत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-397-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-845/XXVII(2)/2018 दिनांक 14 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)  
संयुक्त सचिव

- संख्या-700/111(2)/19-47(एस0एल0ए0)/2017 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -
1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोहस बिल्डिंग, गाजरा देहरादून।
  2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
  3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
  4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
  5. मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
  6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/बागेश्वर।
  7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
  9. अधीक्षण अभियंता, सिविल, वृहत, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
  10. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
  11. गार्ड फाइल।

P.C. [Signature]

B

सहायक अभियंता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
बागेश्वर

आता से

(जोति सिंह)  
उप सचिव